केवल आप के लिये

गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम

सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com

मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती

www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क

मो0 9336715406

8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 263 शनिवार 18 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बाबा साहब का संघर्ष अटूट विश्वास का प्रतीक-दयाराम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। समाज कल्याण विभाग एवं आरसीसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बस्ती के संयुक्त तत्वावधान में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला।

कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के छात्र शिव कुमार चौधरी, रिचा मिश्रा, गुलफाम फातिमा एवं विपिन अग्रहरी द्वारा की गई।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बस्ती सदर के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और शिक्षा के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। आज के युवा वर्ग को उनके विचारों से प्रेरणा लेकर शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए, तभी हम एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं।"

विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण अधिकारी लाल जी यादव एवं प्रशांत कुमार खरे ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बाबा साहब के आदर्शों को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया।

आरसीसी कॉलेज ऑफ ग्रुप के प्रबंधक इंजीनियर शैलेश चौधरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को शिक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकगण सुहेल सर, सुधांशु सर, अंशुमान सर, अभ्युदय सर, अभय सर, सोनू सर, राहुल सर, अंकित सर, पंकज सर, अवनीश सर, आकांक्षा मैम एवं वैभवी मैम सहित अन्य स्टाफ सदस्य जयबिंद, रंजू, रवि, प्रेमदास, सुमन तथा बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के समापन पर निदेशक प्रोफेसर डॉ. के.के. गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं छात्र–छात्राओं का आभार व्यक्त किया।

227 शिक्षकों का स्कूल रेडिनेस सेमिनार सम्पन्न

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ब्लॉक संसाधन केन्द्र डिलिया के सभागार में कक्षा एक और दो में शिक्षण कार्य करने वाले नोडल अध्यापकों का दो दिवसीय स्कूल रेडिनेस एवं रेमेडियल सेमिनार शुक्रवार को सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। खण्ड शिक्षा अधिकारी विनोद त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सेमिनार का शुभारंभ किया।उन्मुखीकरण सेमिनार पर उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों की मजबूत नींव तैयार कर उनके विकास, विस्तार, समृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संदर्भदाता के रूप में एआरपी प्रदीप गुप्ता, शैलेश मिश्रा, शिव प्रसाद, सर्वेंद्र नाथ पाण्डेय एवं रुबिमणी पाण्डेय रहे। सेमिनार दो पालियों में आयोजित हुआ जिसमें 10 न्याय पंचायत के 137 विद्यालयों से कुल 227 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। पर्यवेक्षक के रूप में जिला समन्वयक आलोक त्रिपाठी एवं सीएसएफ फाउंडेशन की अनिका सिद्दीक़ी रहीं।

लोक अदालत 9 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने दी है ।

महिला आरक्षण की राह में 'महाब्रेक',लोकसभा में गिरा संविधान संशोधन बिल, पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल यानी 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर दो दिनों तक लगातार चली चर्चा के बाद आज (शुक्रवार, 17 अप्रैल को) शाम हुई वोटिंग में ये बिल गिर गया है। ये संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। कुल 298 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया है, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। सांसदों के इस संख्या के हिसाब से बिल का पारित होने के लिए 326 वोटों की दरकार थी, जो नहीं मिल सका।

अमित शाह ने कहा भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद इंडी अलायंस के दलों ने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश में मुस्लिम आरक्षण की मांग की है। इस देश में यदि ओबीसी समाज की कोई सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, तो वह कांग्रेस है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी जैसे नेताओं की मांगों को कभी पूरा नहीं किया। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के हितों को दबाया है।उन्होंने बताया 1950 के दशक में काका कालेलकर आयोग के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1980 में जब इंदिरा जी सत्ता में आईं, तब मंडल आयोग के सुझावों को नकार दिया गया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, तब जाकर मंडल आयोग लागू हो सका।

शाह ने कहा 'विपक्ष के तत्कालीन नेता नेहरू जी ने तो मंडल आयोग के विरोध में सदन में सबसे लंबा भाषण दिया था। कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का भी विरोध किया, लेकिन अब जब वे चुनाव हार रहे हैं, तो अचानक ओबीसी के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं।'

समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित शिवम शुक्ल पहुंचे पैतृक गांव, हुआ स्वागत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर समीक्षा अधिकारी बने हरैया क्षेत्र के देवरी गांव निवासी शिवम शुक्ल के पैतृक गांव पहुंचने पर महादेवरी स्थित माता कात्यानी मंदिर परिसर में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा, लोगों ने फूल–मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया।

स्वागत कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शुक्ल, राम सिंगर ओझा, एम डी ओझा, सुभाष चंद्र त्रिपाठी, चंद्रमणि पाण्डेय सुदामा, रोहित त्रिपाठी, प्रेम शंकर ओझा, विनोद शुक्ल आदि ने शिवम की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि शिवम की मेहनत, अनुशासन और लगन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। शिवम ने स्वागत समारोह में शामिल लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी सफलता का श्रेय माता–पिता, भाई, गुरुजनों और नियमित अध्ययन को दिया। उन्होंने बताया कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए, तो सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करना है, जिसके लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के स्वागत समारोह में शामिल होने पर शिवम के पिता कौशल शुक्ल, माता नीलम शुक्ला, भाई शुभम शुक्ल और बहन पूजा ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और शिवम के उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। स्वागत कार्यक्रम में शामिल ध्येय आईएएस के मेंटर अश्वनी राय ने कहा कि निःसंदेह शिवम बहुत ही मेधावी और परिश्रमी हैं निश्चित रूप से उनका आईएएस बनने का सपना साकार होगा। कार्यक्रम का संचालन प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संगठन मंत्री विवेक कान्त पाण्डेय ने किया।

इस अवसर पर विश्वनाथ ओझा, गणेश दत्त शुक्ल, राम मोहन शुक्ल, देवेन्द्र शुक्ल, संतोष शुक्ल, योगेश सिंह, अखिलेश सिंह, प्रवीण शुक्ल, राजेश शुक्ल, जयप्रकाश शुक्ल, उमेश पाण्डेय, अर्जुन उपाध्याय, रवीश मिश्र, प्रमोद ओझा, आशुतोष शुक्ल, ६ रुव चंद्र शुक्ल, कृष्ण प्रसाद शुक्ल, राम निहाल शुक्ल, शिव शंकर शुक्ल, शशि श्याम शुक्ल, पिंटू शुक्ल, उमाकांत शुक्ल, अजय पाण्डेय, महेश मिश्र, अनिल विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, आकाश शुक्ल, अशोक शुक्ल, संजय ओझ, ओंकार नाथ उपाध्याय, विवेकानंद शुक्ल, देव आशीष शुक्ल, रमेश, गौरव, सिकंदर, सुधीर शुक्ल, मनीष, गौरव, विपिन शुक्ल, लवकुश त्रिपाठी, अमरनाथ शुक्ल, मुकेश शुक्ल आदि उपस्थित रहे।

अब पंचायत से संसद तक पहुंचेंगी महिलायें– रंजना सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सभासद रंजना सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कराये जाने की दिशा में पहल का स्वागत करते हुये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का फल है कि अब आधी दुनियां पंचायत से लेकर देश की संसद तक पहुंचेगी।

सभासद रंजना सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि मुझ जैसी घरेलू महिला पर पार्टी और सरकार ने जो विश्वास जताया है उसे हम निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करुंगी। श्रीमती रंजना ने कहा रुधौली नगर पंचायत के हर अधूरे कार्य पूरा करने का प्रयास करुंगी । उन्होने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ , पूर्व सांसद असम प्रभारी हरीश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद आदि के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि भाजपा ने सदैव महिलाओं को सक्रिय राजनीति में आने का अवसर दिया है।

स्कूल का समय बदलने, जनगणना में डियूटी को लेकर शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिलाध्यक्ष डॉ. अरविन्द निषाद के नेतृत्व में विद्यालय समय परिवर्तन एवं जनगणना में ड्यूटी के संबंध में जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक को सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद श्री पाठक ने कहा कि ज्ञापन में कही गई बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा।

ज्ञापन देने के बाद डॉ. अरविन्द निषाद ने कहा कि भीषण धूप और गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का समय प्रातः 7.30 से 12.30 कर दिया जाए और जनगणना में लगे हुए शिक्षकों की ड्यूटी उनके विद्यालय के ग्राम सभा में ही लगाई जाए। यदि पति–पत्नी दोनों की ड्यूटी लगी हो तो किसी एक को राहत दे दिया जाय। गंभीर रूप से बीमार, विकलांग एवं गर्भवती शिक्षिकाओं का ड्यूटी लगाने में उनकी स्थितियों का ध्यान दिया जाए। बीआरसी कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जाए की जनगणना में कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगी है और किसकी नहीं लगी है, यदि नहीं लगी है तो उसके पीछे क्या कारण है। उन्होने कहा कि ऐसी चर्चा है कि कुछ शिक्षकों से धन लेकर अवैध रूप से नाम हटाया जा रहा है जो सरकार की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। सभी ड्यूटी पारदर्शिता पूर्वक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला

कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह, महामंत्री अटल बिहारी गौड़ कोषाध्यक्ष विनय प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अमरेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष राजकुमार प्रजापति, राहुल द्विवेदी, हरिप्रसाद मिश्रा अशोक मिश्रा आदि शामिल रहे।

कफन ओढ़कर डीएम कार्यालय के सामने लेटा बुजुर्गः कहा मैं जिन्दा हूं

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । एक बुजुर्ग डीएम ऑफिस के सामने कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गया। इस घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। आनन–फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बुजुर्ग ने अफसरों से कहा– "साहब, मुझे जिंदा कर दीजिए।"

बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग ने उन्हें मृत घोषित कर उनकी 0.770 हेक्टेयर कृषि भूमि दूसरे के नाम दर्ज कर दी। उन्होंने बताया कि वे बैंक से पेंशन निकालकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में अब भी मृत ही दिखाए जा रहे हैं।

पीड़ित बुजुर्ग की मानें तो वह बीते 14 साल से सरकारी कागजों में मृत दर्ज हैं। उन्होंने कई बार शिकायत की और अपने जीवित होने के सबूत भी दिए, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव का है। पूरा मामला लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम बानपुर गांव का है। पीड़ित इशहाक अली पुत्र फुल्लूर संतकबीर नगर के नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद पर तैनात थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि इशहाक अली ने 31 दिसंबर 2019 को अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें सम्मान विदाई दी।

सफाईकर्मी की हत्या से रोष, गिरफ्तारी न हुई तो 18 को प्रदर्शन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा के हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोषियों की गिरफ्तारी न होने से सफाईकर्मियों और कर्मचारी संगठनों में रोष है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य के नेतृत्व में एक आकस्मिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यालय में हुई। निर्णय लिया गया कि यदि सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा के हत्यारे गिरफ्तार न हुये तो 18 अप्रैल को सफाईकर्मी अमहट घाट स्थित शिवमंदिर परिसर से पद यात्रा निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा जायेगा।

प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य ने बताया कि छावनी थाना क्षेत्र के अकला निवासी सफाईकर्मी विनय कुमार वर्मा हरैया विकास खण्ड क्षेत्र के बसदेवा कुंवर गांव में तैनात थे। गत 12 अप्रैल को गांव के निकट उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। बताया कि इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर गिरफ्तारी की मांग किया था, एसपी ने आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। किन्तु पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। उन्होने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने 18 अप्रैल के आन्दोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया है।

बैठक में मुख्य रूप से संघ के मंत्री मनसाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष अशोक चौहान, संगठन मंत्री अमित चकवर्ती, लेखा सम्भेलक भरत कुमार यादव, सन्तोष कुमार, हरैया के ब्लाक अध्यक्ष भरतराम, उमेश चौधरी, राजेश कुमार, दीनानाथ, रामपाल भारती, विजय भारत, हजारीलाल, मायाराम, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, हजारीलाल, सुशाष चन्द्र, कप्तान कुमार, शेषराम वर्मा, जगदीश प्रसाद, हरिश्चन्द्र, परमात्मा प्रसाद, देवेन्द्र कुमार, हृदयलाल, राम सुरेश चौधरी, यशवन्त कुमार, सुखराम आदि शामिल रहे।

बाबा साहब के योगदान पर संगोष्ठी में विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान की कड़ी में महादेवा विधानसभा संगोष्ठी का आयोजन कार्यक्रम संयोजक और जिला महामंत्री एवं ब्लॉक प्रमुख साऊंघाट के संयोजन में बनकटी विकास खण्ड के समागार में सम्पन्न हुआ।

मुख्य वक्ता पूर्व जिला अध्यक्ष एवं रामनगर के ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह ने बाबा साहब के विचारो पर प्रकाश डाला। उन्होने कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब के विचारों को जन–जन तक पहुंचाने और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

भाजपा जिला महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक अभिषेक कुमार ने बाबा साहब के व्यक्तित्व–कृतित्व पर चर्चा करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुये कहा कि बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना को व्यवहारिक रूप देना होगा। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये भाजपा मण्डल अध्यक्ष अंकित पाण्डेय ने बाबा साहब के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला।

–बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचायें- यशकान्त

–बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना लक्ष्य-अभिषेक कुमार

कहा कि डॉ. आंबेडकर का जीवन एक संघर्ष का इतिहास रहा है। आजादी से पहले देश में व्याप्त ऊंच–नीच के भेदभाव, छुआछूत जैसी कुरीतियों का खात्मा डॉ. आंबेडकर के निर्देशन में बनाए गए संविधान ने किया। उन्होंने कहा कि कभी भी भेद–भाव होते देखें तो उसे रोकें। किसी से साथ अन्याय न होने दें।

इस अवसर पर जिला मंत्री भाजपा राजेंद्र राजभर, रविचंद्र अंकित पाण्डेय, प्रधान संघ अध्यक्ष राजू मौर्या , मंडल अध्यक्ष कुदरहा दुर्गेश अग्रहरि , प्रधान मोहनाखोर श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, काशी प्रसाद गौतम, दिवाकर कुमार, राम भरत, सुनील पाण्डेय, बृजेश यादव के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता और मातृशक्ति की गरिमामयी उपस्थिति रही।

शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, छात्र कल के नहीं, आज के भविष्य–अरुणा पाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शुक्रवार को संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय बनकटी में विद्यालयीय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ विकास खण्ड बनकटी मंत्री चंद्रशेखर शर्मा के संयोजन में सम्पन्न हुआ।

मुख्य अतिथि सीडीए एकेडमी की प्रिंसिपल श्रीमती अरुणा पाल रहीं, अध्यक्षता खण्ड शिक्षा अधिकारी बनकटी अरुण कुमार यादव और संचालन अतुल कृष्ण राज एवं राकेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया।

मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा पाल ने कहा कि वार्षिकोत्सव छात्रों के लिये एक बड़ा अवसर है जब वे अपने अंचल के सरोकारों से जुड़कर उसे स्वर देते हैं। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, उसे व्यवहारिक बनाने से छात्र और मुखर होते हैं। इसे समग्रता के रूप में देखना होगा। बच्चे कल के नहीं आज के भविष्य है।

अध्यक्षता करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि समय के साथ परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गतिविधियां बहुत समृद्ध हुई है, इसका श्रेय नीति, कार्यक्रम और समर्पित शिक्षकों को है।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष एवं बनकटी अध्यक्ष अभय सिंह यादव ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में असीम प्रतिभा छिपी है। शिक्षक उसे सामने ला रहे हैं। यह सुखद स्थिति है। कहा कि अभिभावकों को अपना नजरिया बदलकर पाल्यों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में कराना चाहिये।

-वार्षिकोत्सव में छा गया बचपनः मिला पुरस्कार, खिले चेहरे

कार्यक्रम को मुख्य रूप से सभा सद प्रतिनिधि मोहम्मद वसीम, डाक्टर अनिल कुमार मौर्य , दुर्गेश राव, गिरजेश चौधरी, मोहम्मद इकबाल ने सम्बोधित करते हुये छात्रों का उत्साहवर्धन किया ।

कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक से लोग मंत्रमुग्ध हो गये। विद्यालय में अध्ययन कर रहे 50 बच्चों एवं अभिभावकों को माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए सभी बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया । छात्रों को जब पुरस्कार मिला तो उनके चेहरे खिल गये।

कार्यक्रम में राकेश मिश्रा और शारदा प्रसाद चतुर्वेदी ने कविताओं से कार्यक्रम को गुलजार किया। मुख्य रूप से मारूफ खान, आदित्यनाथ त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अजीत जायसवाल, नीलम, ध्रुव नारायण दुबे, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय, राकेश उपाध्याय, विनोद कुमार, बेहिल, सरवन कुमार यादव, अतुल पाल, बाबूराम चौधरी, मुकेश, सत्येंद्र यादव, प्रीति मिश्रा, राजलक्ष्मी, अग्रहरि, खुशबू सिंह, अनिल कुमार, सुधीर सिंह, मोहम्मद कामरान, मनोज कुमार उपाध्याय, अश्विनी वर्मा, दयानवंत, जाकिरा खातून, रणजीत कुमार, शैलेन्द्र कुमार पाल, नंदलाल शर्मा, राम अछैवर चौधरी, अवनीश जयसवाल, सुमन श्रीवास्तव के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र उपस्थित रहे । प्रधानाध्यापक चन्द्रशेखर शर्मा ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुये शैक्षणिक प्रयासों पर प्रकाश डाला।

विद्यालय समय परिवर्तन, गैस की समस्या को लेकर शिक्षकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह व मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में शुक्रवार को शिक्षकों ने भीषण गर्मी के चलते विद्यालय समय परिवर्तन तथा मध्यान्ह भोजन के लिए गैस आपूर्ति न हो पाने के संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनके प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में तापमान बढ़ता जा रहा है परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अपराह्न दो बजे तक बैठाकर पठन–पाठन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अधिकांश विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति भी नहीं है तथा जिन विद्यालयों में विद्युत आपूर्ति है वहां भी दोपहर में लाइट नहीं रहती है, जिससे बच्चों को गर्मियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव व जिला उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन बनाने में भी अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही है । गैस एजेंसियों द्वारा गैस की आपूर्ति विद्यालयों पर समय से न कि जाने तथा बच्चों की संख्या अधिक होने पर एक माह में एक ही सिलेंडर दिए जाने से भी विद्यालयों में भोजन बनने में समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षक दिन भर गैस के लाइनों में लगा रहता है तब जाकर कहीं गैस की आपूर्ति हो पा रही है। शिक्षकों द्वारा डीएम से मांग किया गया कि बच्चों के भोजन को प्राथमिकता के आधार पर दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों को गैस उपलब्ध कराया जाए और विद्यालयों की लिमिट भी बढ़ाई जाए।

–भीषण गर्मी में पठन–पाठन मुश्किलः गैस सिलेण्डर न मिलने से मध्यान्ह भोजन प्रभावित

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष हरेन्द्र यादव, सनद पटेल, सुरेश गौड़, अशोक यादव, जिला उपाध्यक्ष उमाकांत शुक्ला, प्रवीण श्रीवास्तव,संजय यादव, अविनाश दुबे, अनिल पाठक,वेद उपाध्याय, विवेक प्रताप सिंह, दीपचंद कनौजिया, उमाशंकर पाण्डेय, विजय यादव, संतोष मिश्रा, शिव प्रकाश सिंह व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 18 अप्रैल 2026 शनिवार

सम्पादकीय

नशे का जाल और युवा पीढी

देश में महानगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में नशीले पदार्थों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा और गहरा प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ रहा है, जो उनके भविष्य और जान दोनों को खतरे में डाल रहा है। यह केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन गया है। युवाओं के सामूहिक रूप से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए विशेष आयोजन की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। मगर, अब इस तरह के आयोजनों का स्वरूप भी बदल रहा है।

ऐसी ही एक घटना हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में सामने आई, जहां नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से प्रबंधन संस्थान में पढ़ाई करने वाले दो विद्यार्थियों की मौत हो गई। ये दोनों अपने दोस्तों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में आए थे। सवाल है कि जब नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और खरीद के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान है, तो फिर युवाओं की इन तक आसानी से पहुंच कैसे संभव हो पा रही है?

यह बात छिपी नहीं है कि नशीले पदार्थों की बिक्री और इनके सेवन के लिए नए–नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। 'रेव पार्टी' की बजाय अब संगीत कार्यक्रमों की आड़ में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक, गोरेगांव में संगीत कार्यक्रम में भाग लेने आए जिन दो छात्र–छात्रा की मौत हुई, वे पहले से नशा करके आए थे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान फिर से नशीले पदार्थ का सेवन किया।

यह बेहद चिंताजनक है कि पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन की आड़ में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से प्रयास करने की इच्छाशक्ति कहीं नजर नहीं आती है। जबकि युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात है कि मुंबई जैसे महानगर में संगीत कार्यक्रमों की अनुमति देने से पहले प्रशासन की ओर से जांच और निगरानी की जरूरत महसूस नहीं की जाती है। जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ सामाजिक स्तर पर सतर्कता नहीं बरती जाएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं हो पाएगी।

आमतौर पर नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह आदत कब लत में तब्दील हो जाए, पता नहीं चलता। आदत को एक सकारात्मक अवधारणा के तौर पर देखा जाता है, जबकि लत या व्यसन एक नकारात्मक अवधारणा है। यह एक मनोविकार है, क्योंकि जिस नशे के सेवन की लत लग जाए, उसके बिना जीवन की निरंतरता असंभव दिखाई देती है। आदत बदलना संभवतरू आसान हो सकता है, पर लत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है।

परिसीमन और आशंकायें

इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें बदलाव हो सकते हैं। मगर इस वर्ष परिसीमन की कवायद को लेकर कई सवाल उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के ताजा प्रस्ताव के तहत जो प्रारूप सामने आया है, अगर वह अमल में आया तो यह व्यापक स्तर पर भेदभाव का कारण बनेगा।

हालांकि इस तरह के कदम उठाने से पहले देशभर में सर्वसम्मति कायम करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि राज्यों के बीच मतभेद न उपजे, लेकिन परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की पहल के बाद तमिलनाडु में जिस तरह का विरोध उभर रहा है, उससे कई सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ विरोध को तेज करते हुए इससे संबंधित विधेयक की प्रति जला कर और काला झंडा दिखा कर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी। इससे पहले स्टालिन ने यहां तक कहा था कि तमिलनाडु की चिंता को दूर किए बिना अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया, तो राज्य में एक समय चले हिंदी विरोधी आंदोलनों जैसी स्थिति बन सकती है।

निश्चित रूप से एक संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग–अलग राज्यों में इस स्तर के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी चिंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। मगर हैरानी की बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को इसका आभास नहीं था कि लोकसभा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के क्रम में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जिस तरह का असंतुलन पैदा होने वाला है, उससे कई स्तर पर असंतोष उभर सकता है! दरअसल, सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रही है, ताकि इसे लेकर उठने वाली आपत्तियों को कमजोर किया जा सके।

मगर विपक्षी दलों की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी संसद के समीकरण में वैसे राज्यों को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। इसके अलावा, सीटों के फिर से बंटवारे के क्रम में जो नया समीकरण बनेगा, उसमें दक्षिण भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों में काफी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों की नुमाइंदगी में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु में इस मसले पर व्यापक असंतोष उभर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन को लेकर बेहतर प्रदर्शन का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्टालिन ने परिसीमन संशोधन को दक्षिणी राज्यों के खिलाफ और देश की प्रगति में योगदान देने की सजा तक कहा है।

सवाल है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। एक पक्ष यह है कि परिसीमन का मुख्य आधार चूंकि जनगणना होता है, तो नई स्थितियों में इससे संबंधित किसी कवायद पर उठने वाले सवालों का हल क्यों नहीं निकाला गया? कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इस मसले पर उभरने वाली आपत्तियों पर गौर किया जाए और सभी राज्यों के बीच सहमति कायम की जाए।

आम आदमी के निशाने पर खास आदमी

—विश्वनाथ सचदेव—

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की सरकार ने विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता के खिलाफ आदेश दिया है कि मंत्रियों की कारों के काफिले नहीं चलेंगे, उनकी कारें सायरन नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे।

खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची रोड पर हुई एक सड़क–दुर्घटना की है। इस दुर्घटना में एक पत्रकार की मृत्यु हो गयी। बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पायी, अन्यथा पत्रकार की शायद जान बच सकती थी। इस तरह की कोई अनोखी घटना नहीं है यह। अक्सर होता रहता है ऐसा। अक्सर आम आदमी को एंबुलेंस–सेवा का समय पर लाभ नहीं मिल पाता। अक्सर मंत्रियों की कारों के काफिले सायरन बजाते, धूल उड़ाते आम आदमी को अंगूठा दिखाते, सड़कों पर आगे निकल जाते हैं। लाल और नीली बत्तियों वाले यह काफिले उस संस्कृति का एक चेहरा हैं जिसे आम बोल–चाल की भाषा में 'वीआईपी कल्चर' यानी विशिष्ट लोगों की व्यवस्था कहा जाता है।

राजनीति में इस व्यवस्था का चेहरा अक्सर दिख जाता है। मंत्रियों के कारों को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े, इसके लिए आम जनता की कारें कहीं भी, और कभी भी, रोकी जा सकती हैं। सुरक्षा के नाम पर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि किसी मंत्री की कार को 'अकेले' कहीं आना–जाना न पड़े। उनकी गाड़ी के आगे भी गाड़ियां होती हैं, पीछे भी। माना जाता है इससे शासक का रुतबा बढ़ता है!

इसी रुतबे का नाम है वीआईपी कल्चर यानी विशिष्ट जनों वाली राजनीतिक संस्कृति। इस संस्कृति की पहचान सिर्फ कारों का काफिला नहीं होती। 'बड़े लोग' कई–कई तरीकों से अपना बड़ा होना सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं।

कथित बड़े लोगों के बच्चे सरकारी अस्पतालों में नहीं पैदा होते। उनके लिए शानदार और महंगे अस्पताल हैं। यह बच्चे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल तो आम आदमी के लिए होते हैं। आम आदमियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हैं जहां न बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होती है न ठीक–ठाक दिखने वाले स्कूली इमारत की। अक्सर ऐसे खस्ता हाल स्कूलों के बारे में समाचार छपते, प्रसारित होते रहते हैं, पर स्थिति में कोई परिवर्तन आता नहीं दिखता। सरकारी अफसरों, राजनेताओं, पैसे वालों के बच्चों के लिए वीआईपी कल्चर में खास स्कूल होते हैं। खास यानी महंगे। हां, इनका महंगा होना इनकी पहली पहचान और खासियत है। माना जाता है कि इन महंगे स्कूलों की पढ़ाई भी अच्छी होती है। इस अच्छेपन की परिभाषा भी अलग–अलग होती है। एक परिभाषा यह है कि इन स्कूलों की इमारतें शानदार हों, यहां पढ़ने वाले बच्चे कारों या टैक्सियों में आयें, अच्छे कपड़े पहने हों। कक्षाएं एयरकंडीशन्ड हों। यहां पढ़ाई जाने वाली किताबें भी महंगी होती हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक भी!

देखा जाये तो सांची रोड पर होने वाली सड़क दुर्घटना में इस महंगी शिक्षा यानी, वीआईपी कल्चर का कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, पर रिश्ता है। यह रिश्ता आदमी को आम और खास आदमी में बांटने वाला है। खास यानी जिसके लिए खास व्यवस्था हो। आम वर्ग की तुलना में यह खास वर्ग बहुत छोटा है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा माना जाता है। विडंबना यह है कि यह छोटा वर्ग समाज की सोच पर हावी ही नहीं रहता, लगातार इस कोशिश में भी रहता है कि उसका प्रभाव बड़ा हो ही नहीं, बड़ा दिखे भी। बड़ा दिखने की यह लालसा ही 'वीआईपी कल्चर' को जन्म देती, उसे पालती–पोसती है। मजे की बात यह है कि इस लालसा की अक्सर आलोचना होती है, इसे समाप्त करने के वादे और दावे भी किये जाते हैं, पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिखता। दिखना चाहिए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की नयी सरकार ने एक रास्ता दिखाया है इस विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता को समाप्त करने का। इसी मार्च, 2026 में वहां चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया है वहां की राजनीति में। देश के नये और युवा प्रधानमंत्री, 36 वर्षीय बालेन शाह, ने दशकों पुराने राजनीतिक दलों का स्थापित करने का संकल्प भी लिया है। देश में आदेश जारी कर दिया गया है कि मंत्रियों की कारों के काफिले नहीं चलेंगे, सड़कों पर दौड़ती उनकी कारें सायरन नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब नेपाल में बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या संत्री के, सामान्य कर्मचारियों के अथवा किसी अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और यदि सफल हो जाता है तो छोटा–सा देश नेपाल समतावादी समाज की रचना की दिशा में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

अक्सर इस तरह की लोक–लुभावन घोषणाएं शासक–वर्ग करता है। हमारे देश में भी कई बार इस तरह की घोषणाएं होती रही हैं, पर देखा यह भी गया है कि जल्दी ही घोषणाएं भुला दी जाती हैं। कुछ साल पहले ही जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो बड़े जोर–शोर से यह घोषणा हुई थी कि आम आदमी पार्टी के मंत्री बड़ी–बड़ी कारों में नहीं चलेंगे, बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे। उनके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में शिक्षा पायेंगे, उनके इलाज सरकारी अस्पतालों में होंगे। पर जल्दी ही इन घोषणाओं का मुल्लम्मा उतर गया। मंत्री बड़े–बड़े बंगलों में पहुंच गये, तीन कमरों के मकान में रहने वाले मुख्यमंत्री के लिए 'शीशमहल' बन गया। लालबत्ती वाली कारों के काफिले सड़कों पर दौड़ने लगे। पार्टी का नाम भले ही आम आदमी से जुड़ा हो, पर सरकार 'खास संस्कृति' वाली ही बनी रही। आवश्यकता है इस खास संस्कृति की मानसिकता के खिलाफ उठ खड़े होने की।

सही मायनों में बीमार है यह मानसिकता। यह मानसिकता आम आदमी की सोच को बौना बनाती है। इसी बौनेपन का एक उदाहरण यह है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और महंगे निजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं, फल–फूल रहे हैं। शहरों में ही नहीं, गांवों तक में 'इंटरनेशनल' स्कूल खुल रहे हैं! इस इंटरनेशनल का क्या मतलब है, यह वही जानें, पर यह जानना हम सबके लिए जरूरी है कि यह 'वीआईपी कल्चर' हमारे समाज को भीतर ही भीतर खोखला बना रहा है। सवाल सिर्फ आर्थिक विषमता का ही नहीं है, सामाजिक विषमता के चलते टुकड़ों में बंटता चला जा रहा है हमारा समाज। इस बंटवारे को रोकना ही होगा।

इस दिशा में हमारे पड़ोसी देश नेपाल की कोशिशें आश्वासन देने वाली हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कोशिशें सफल होंगी। ऐसी कोई भी सफलता हमारे लिए मार्ग–दर्शन का काम कर सकती हैं। हमें सीखना ही होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास से किसी एंबुलेंस को गुजार देना मात्र ही वीआईपी संस्कृति का नकार नहीं है। समता का दर्शन हमारी सोच का एक आधार बनना चाहिए। मंत्रियों को अहसास होना चाहिए कि लालबत्ती वाली कारों के काफिले उन्हें बड़ा नहीं बनाते, बड़ा उन्हें यह सोच बनायेगी कि वे एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो मनुष्य की समानता और एकता में विश्वास करता है। और आम नागरिक को भी यह समझना होगा कि बड़ा होने और बड़ा दिखने में अंतर होता है। लालबत्ती वाली संस्कृति हमें बड़ा नहीं, छोटा बनाती है। यह हमें तय करना है कि हम छोटा बनना चाहते हैं या बड़ा।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

मनुष्यता और महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा

—डा. वीरेन्द्र आजम—

जब स्कूल निशाना बनते हैं तो ज्ञान मरता है। जब अस्पताल मलबे में बदलते हैं तो करुणा दम तोड़ती है, और जब तेल–गैस संयंत्र जलते हैं तो जीवन का ईंधन समाप्त होता है। सच तो यह है कि यह केवल युद्ध की नहीं, मानवता की पराजय है। धरती पर इंसानियत फिर लहूलुहान है। दुनिया बारूद की गंध में सांस ले रही है, बारूद के धुएं में बच्चों की हंसी, स्कूलों की घंटियां और अस्पतालों की शांति सब कुछ धुल गया है। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के युद्ध ने सभ्यता के मुंह पर एक बड़ा काला धब्बा छोड़ दिया है। युद्ध के दौरान जिस तरह बमबारी हुई है उससे मची तबाही और राष्ट्राध्यक्षों के सनकभरे बयानों ने संवेदना की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब युद्ध केवल सीमाओं का नहीं रहा, वह विचारों, अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर भी आक्रमण कर चुका है। ईरान, अमेरिका, इस्राइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस–यूक्रेन, हर मोर्चे पर निर्दोषों का लहू बहा है और महाशक्तियां हथियारों के व्यापार में लिप्त हैं। यदि सभ्यता का अंत युद्ध की धूल और बारूदी धुएं में ही होना है, तो फिर विकास का अर्थ क्या रह जाएगा?

अमेरिका की एक मिसाइल ने ईरान के एक शहर में ऐसी तबाही मचायी कि लोगों की रूह कांप उठी, मानवता कराह उठी। दक्षिणी ईरान के मीनाब में एक नौसैनिक अड्डे के पास स्थित शजारेह तैय्येब प्राथमिक विद्यालय पर हुए मिसाइल हमले में 7–12 साल उम्र की 165 मासूम बच्चियां मारी गईं। इन छोटी बच्चियों के शव किसी भी नीति–निर्माता, किसी भी बयान या किसी भी धर्म के पक्ष में दिए गए तर्कों को झुठला रहे हैं।

उधर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध ने अमानवीयता का एक और अध्याय जोड़ दिया है। पाकिस्तान–अफगानिस्तान की सरहद पर भी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बम बरसे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला कर अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके अलावा भी रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर यह युद्ध किसके लिए है और किसके खिलाफ है? यह सिर्फ बच्चियों और मरीजों की मौत का आंकड़ा नहीं है अपितु मनुष्यता का शोकगीत है। ये घटनाएं इस सदी की सबसे बड़ी शर्म हैं जो मानवता और नैतिकता के माथे पर गाढ़ा धब्बा बनकर दर्ज हो चुकी हैं।

हास्यास्पद बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इन हमलों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शुरू में एक बचकाना बयान देते हुए यहां तक कह दिया था कि स्कूल पर 'ईरान ने खुद बम गिराया' है। लेकिन बाद में राजनीतिक बचाव करते हुए कहा गया कि निशाना साधने में चूक हुयी है। उधर पाकिस्तान का अस्पताल पर हमले से इनकार भी उतना ही झूठा और खोखला है, जितना सूरज की रोशनी में अंधकार की बात करना। सवाल यह नहीं कि बटन किसने दबाया, सवाल यह है कि मरे कौन। उत्तर स्पष्ट है–बच्चे, बीमार, और निर्दोष नागरिक। राष्ट्राध्यक्षों की जिद, तानाशाही प्रवृत्ति और शक्ति की होड़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युग में युद्ध अब सीमा की नहीं, बल्कि स्वार्थ, सनक और अहंकार की राजनीति है।

ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई तथा अनेक सैन्य कमांडरों के अमेरिका व इस्राइल के हमलों में मारे जाने के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के मुस्लिम देशों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किये हैं। इन हमलों में भी बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इन देशों में नागरिकों की हर सुबह मौत के खौफ और रातें 'कल क्या होगा' की बेचैनी में कटी हैं। कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं रही। बमों की दिशा बदल सकती है, पर दर्द का पता हर बार वही रहता है, आम आदमी के सिर तक। ईरान के हमलों ने यह जता दिया कि प्रतिशोध अब भूगोल नहीं देखता।

आज की दुनिया का सबसे भयावह दृश्य यह है कि युद्ध बढ़ रहे हैं, और समानांतर रूप से हथियार–व्यापार फल–फूल रहा है। इन युद्धों के बीच अमेरिका अनेक देशों को 'सुरक्षा' के नाम पर हथियारों की डील दे रहा है। यानी युद्ध जितना फैलता है, मुनाफा उतना बढ़ता है। यह मानवता के नाम पर किया जा रहा एक ऐसा वैश्विक व्यापार है, जहां हर मौत एक बाजार का संकेत बन गयी है। प्रतिशोध के गलियारों में हर मौत एक आंकड़ा बन रही है। नैतिकता अब केवल भाषणों में बची है, शांति का धर्म पूंजी के आगे हार रहा है। जो देश 'मानव अधिकार' की रक्षा का दावा करते रहे हैं, वे ही अब मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध भी कोई अलग कहानी नहीं है। वहां भी लाखों सैनिक और हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। कथित 'सुरक्षा' के नाम पर की गई हर बमबारी, सभ्यता के इतिहास में निरंतर कलंक जोड़ रही है। पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी यूरोप–तीनों मोर्चों पर एक जैसी तस्वीर है।

बस्ती विकास प्राधिकरण

संख्या–113 / ब०वि०प्रा०बस्ती /2026–27 दिनांक–17.04.2026

सार्वजनिक सूचना

श्री रमेश चन्द्रा पुत्र श्री चौथीराम गाटा सं०–313 ग्राम–खीरीघाट तप्पा–हवेली परगना बस्ती पूरब जनपद बस्ती द्वारा उक्त गाटे में क्लीनिक के निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र सख्या–BSDA/BP/25–26/0297 को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। पक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड में क्लीनिक के उपयोग हेतु निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्थल का भू–उपयोग बस्ती महायोजना–2031 (भाग–क) के अन्तर्गत व्यवसायिक 12 मी० सड़क के अन्तर्गत आता है। बस्ती महायोजना 2031 (भाग–क) में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन एवं मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में भू–उपयोग जोन्स 15.3.2 में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित जोन मैट्रिक्स 5.6 में (व्यवसायिक) भू–उपयोग के अन्तर्गत शैय्या रहित चिकित्सा क्लीनिक सामान्यतः अनुमन्य है।

मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलशेन में शासन के निर्गत आदेश दिनांक–21.11.2025 के अनुसार जोनिंग नियम अध्याय 18 के प्रस्तर 15.1.3 समाघात शुल्क में नियमावली 2024 का संदर्भ है, जिसमें 15 दिन की अवधि निर्धारित है। प्रस्तर 15.1.3 (IV) **'महायोजना भू–उपयोग अथवा अनुमोदित ले–आउट में परिभाषित भू–उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जनता से आपत्ति / सुझाव करने के उपरांत दी जाएगी।'**

यदि उक्त भूमि पर क्लीनिक के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किए जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर साक्ष्यों सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अथवा बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दर्ज करा सकता है, 15 दिवस की अवधि के उपरांत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एव नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति के सबंध में कार्यवाही कर दी जाएगी।

सचिव

बस्ती विकास प्राधिकरण,

बस्ती।

कार्यालय ग्राम पंचायत गोरखर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गोरखर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **गोरखर** के निविदा बाक्स में दिनांक 24–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 23–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **गोरखर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **गोरखर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गोरखर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(श्री चन्द्र सिंह) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**गोरखर**
(अमरनाथ गौतम) — सचिव, ग्राम पंचायत–**गोरखर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत परसा लंगड़ा वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **परसा लंगड़ा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा लंगड़ा** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा लंगड़ा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **परसा लंगड़ा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **परसा लंगड़ा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(लक्ष्मी देवी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–परसा लंगड़ा
(किशन कुमार वर्मा) — सचिव, ग्राम पंचायत–परसा लंगड़ा

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत पिटाउट वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिटाउट** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पिटाउट** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पिटाउट** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पिटाउट** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिटाउट** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रविन्द्र चौधरी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**पिटाउट**
(अखिलेश कुमार शुक्ला) — सचिव, ग्राम पंचायत–**पिटाउट**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

नारी शक्ति वंदन एक्ट के समर्थन में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस, चलाया हस्ताक्षर अभियान

संवाददाता–महराजगंज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया और जिला उपाध्यक्ष डॉ. फरीदा ईरम के नेतृत्व में जुलूस निकला। जनजागरूकता का संदेश दिया। सदर ब्लाक सभागार में आयोजित सभा के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। सदर ब्लाक से निकला जुलूस आंबेडकर पार्क तक गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी, योगी, पंकज चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री के नारी सशक्तिकरण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सशक्त कदम है।

उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया के साक्षी बन रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष डॉ. फरीदा ईरम ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक युगांतकारी निर्णय है जो महिलाओं के लिए सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है।कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री मधुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, अल्प संख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री कुरसेद अंसारी, जिला मंत्री दिनेश जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिधि इंजी विवेक गुप्ता, महिला मोर्चा जिला महामंत्री वंदना तिवारी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा कमलेश जायसवाल, आराधना त्रिपाठी, ज्योत्सना शुक्ला, तबस्सुम निशा, रत्ना त्रिपाठी, पूर्णिमा पांडेय, ऋतु गुप्ता, चंदा देवी, नेहा पाठक, नगर अध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल, गौतम तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फखरुद्दीन उर्फ मुन्ना आयु लगभग 62 साल पुत्र अमीरुद्दीन निवासी 6/2/242 निकट शाही मस्जिद मुगलपुरा फैजाबाद जनपद अयोध्या का स्थायी निवासी है। मैने अपने पुत्र शमसुद्दीन जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है सन् 2020 से ही अपनी चल व अचल संपत्ति से उसके खराब चाल–चलन की वजह से बेदखल कर दिया था जिसके बाबत लिखापढ़ी व पेपर गजट करा रहा हूं। मेरे पुत्र शमसुद्दीन का चाल–चलन परिवार व समाज के प्रति सही नहीं है। वह परिवार का कहना नहीं मानता है अपने मन का कार्य करता है पूरा परिवार उसके कार्य व व्यवहार से पूरी तरह से परेशान है। उसके किसी नैतिक व अनैतिक कार्य से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अपने किसी भी कृत्य के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत चौकवा वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चौकवा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **चौकवा** के निविदा बाक्स में दिनांक 24–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 23–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **चौकवा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **चौकवा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **चौकवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुदामा देवी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**चौकवा**
(अमरनाथ गौतम) — सचिव, ग्राम पंचायत–**चौकवा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत शाहपुर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **शाहपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **शाहपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **शाहपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **शाहपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **शाहपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(ज्ञानमती) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**शाहपुर**
(किशन कुमार वर्मा) — सचिव, ग्राम पंचायत–**शाहपुर**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत तेनुआ वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **तेनुआ** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **तेनुआ** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **तेनुआ** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **तेनुआ** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **तेनुआ** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सॅवारी देवी) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**तेनुआ**
(किशन कुमार वर्मा) — सचिव, ग्राम पंचायत–**तेनुआ**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बस्थनवा वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बस्थनवा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बस्थनवा** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बस्थनवा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बस्थनवा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बस्थनवा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शिवनारायन) — प्रधान, ग्राम पंचायत–**बस्थनवा**
(अखिलेश कुमार शुक्ला) — सचिव, ग्राम पंचायत–**बस्थनवा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कोठिली वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कोठिली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कोठिली** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कोठिली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कोठिली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कोठिली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(बैजनाथ जायसवाल) प्रधान ग्राम पंचायत–**कोठिली**
(चन्द्रशेखर) सचिव ग्राम पंचायत–**कोठिली**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत बढ़या/गिधनी वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** के निविदा बाक्स में दिनांक 16–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 08–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कंचन सिंह) प्रधान ग्राम पंचायत–**बढ़या/गिधनी**
(अनिल कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–**बढ़या/गिधनी**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 07.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत धन्सी वि.खं. रुधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **धन्सी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **धन्सी** के निविदा बाक्स में दिनांक 04–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 03–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **धन्सी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **धन्सी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **धन्सी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शिव सहाय) प्रधान ग्राम पंचायत–**धन्सी**
(स्नेहा श्रीवास्तव) सचिव ग्राम पंचायत–**धन्सी**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत छनवतिया वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **छनवतिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **छनवतिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **छनवतिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **छनवतिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **छनवतिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(साधना देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**छनवतिया**
(अंकुर कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–**छनवतिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत पड़री वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पड़री** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पड़री** के निविदा बाक्स में दिनांक 25–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18–04–2026 से दिनांक 24–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पड़री** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पड़री** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पड़री** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(झगरू) प्रधान ग्राम पंचायत–**पड़री**
(चन्द्रशेखर) सचिव ग्राम पंचायत–**पड़री**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 17.04.2026

ग्राम पंचायत खरगवार विकास खण्ड शोहरतगढ़ जनपद–सिद्धार्थनगर

अल्पकालीन निविदा सूचना

ओडीएफ ग्राम पंचायत **खरगवार** द्वारा जी राम जी / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) / 15वां / 16वां वित्त /केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग /उत्सव भवन / स्वच्छ भारत मिशन/एम.एल. एल. डब्ल्यू. एम. / सांसद / विधायक एम. एल. सी. निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (प्रथम श्रेणी ईंट, सीमेंट, ईंट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, सरिया, पेंट, साइनबोर्ड, ह्यूम पाइप, स्ट्रीट लाइट, सफाई सामग्री, बेला, सादा बालू, मोरंग बालू, कूड़ादान, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा साइकिल, ई–रिक्शा मरम्मत, स्वच्छता किट, इन्सिनरेटर आदि एवं अन्य प्रकार की निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। इस निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 20–04–2026 को समय 02:00 बजे तक अपनी निविदा फार्म मूल्य रू100.00 के स्टाम्प पेपर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **खरगवार** निविदा बॉक्स में डालेंगे। निविदा उसी दिन 04:00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। शर्तें एवं नियमावली: 1. अधिकृत फर्म/अधिकृत डीलर का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 03 वर्ष का आयकर क्लियरेंस संलग्न करना अनिवार्य है। 2. जी. एस. टी. तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर ही दरें प्रस्तुत की जाएं। 3. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2.28 प्रतिशत आयकर/टीडीएस देना होगा। 4. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होंगी। भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के समयानुसार तय दर पर ही किया जाएगा। 5. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, टीए, अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी 16. धरोहर की धनराशि रू 5000.00 (पांच हजार) होगी। 7. धरोहर की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर/एनएससी एवं डाकघर के बचत पत्र के रूप में सचिव ग्राम पंचायत के नाम बंधक होगी। मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। 9. आदेश देने के सात दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 10. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 11. सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। 12. आपूर्ति कर्ता को भुगतान का इंजीनियर/अवर अभियंता (या अभियंता) /तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा माप के उपरांत किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र रू 100.00 में ही स्वीकार किया जाएगा। 14. निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। 15. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। 16. निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत **खरगवार** से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 17. जिस कार्य की निविदा पृथक से निकाली जाएगी उस कार्य पर इस निविदा की शर्तें लागू नहीं होंगी।

ग्राम प्रधान श्री पटेश्वरी ग्राम पंचायत–खरगवार विकास खण्ड–शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर
सचिव कुँवर कन्नौजिया ग्राम पंचायत–खरगवार विकास खण्ड–शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर

जन समस्याओं का त्वरित समाधान कराएं अधिकारी –योगी

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत। सरकार, आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी।

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी बातें सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लेकर उसका अवलोकन कर समस्याः शिकायत का संज्ञान लिया। फिर, अलग–अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह शुक्रवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध कराएगी। कुछ महिलाओं ने आवास की समस्या मुख्यमंत्री को बताई। इस पर सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराने को संकल्पित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी पात्र लोग पक्के आवास की सुविधा से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
अपील सं0– /2025
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी सदर महोदय बस्ती जिला बस्ती
हरीराम
बनाम
अंजनी देवी
1. अंजनी देवी पत्नी सियाराम साकिन ग्राम कोरमा तप्पा कनैला परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 24–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 24 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0– 20/2025
अनवर अली
बनाम
मुश्ताक अहमद
1. मुश्ताक अहमद पुत्र यारमोहम्मद निवासी मंगल बाजार बस्ती खास तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील सदर जिला बस्ती
तारीख पेशी 22–04–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 22 माह 04 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अपील सं0–
अदालत– श्रीमान उप संचालक चकबन्दी महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मो0 इस्माइल
बनाम
नसीबुल्लाह
1. नसीबुल्लाह पुत्र कवई ग्राम बरहुआ तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील वो जिला बस्ती
तारीख पेशी 20–04–2026
अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 20 महीना 04 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com